

422

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान रेजीडेन्सियल एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस)
कमरा नम्बर 411, अम्बेडकर भवन सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर। 0141-2220278

क्रमांक एफ1(A) (140)स्था./राईस/सामान्य/2019/ **4306** जयपुर, दिनांक **10/7/19**
आदेश


विभागीय आदेश क्रमांक एफ1 (A)(140)स्था./राईस/सामान्य/2015/ 29541 दिनांक 07.05.2015 द्वारा आवासीय विद्यालयों में आर्थिक पिछडा वर्ग के अतिरिक्त अनु. जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु प्रवेश में वार्षिक आय सीमा 2.50 लाख निर्धारित की गई थी।

कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7 (1)डीओपी/ए-II/ 2019 दिनांक 19.02.2019 के बिन्दु संख्या 2 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रिक्तियों के आरक्षण हेतु कुटुम्ब की कुल वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

अतः आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु छात्र-छात्राओं के परिवार, जिनके माता-पिता, भाई-बहन तथा स्वयं शामिल होगा की वार्षिक आय सभी श्रोतों से 2.50 लाख रु. वार्षिक से बढ़ाकर 8.00 लाख रु. वार्षिक की जाती है।

शेष शर्तें यथावत रहेगी।


उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(सांवर मल्होत्रा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
एवं सचिव राईस

क्रमांक एफ1(A) (140)स्था./राईस/सामान्य/2019/ **4307-27** जयपुर, दिनांक **10/7/19**
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)/अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास) मुख्यावास।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
7. संयुक्त निदेशक (देवनारायण) मुख्यावास।
8. संयुक्त निदेशक (आई.टी) मुख्यावास को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित को ई-मेल करने हेतु।
9. सहायक निदेशक (प्रचार) मुख्यावास को भेजकर लेख है कि समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाना सुनिश्चित करावे।
10. संबंधित जिला कलेक्टर.....
11. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी.....
12. संबंधित उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परीविक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....
13. समस्त प्रधानाचार्य, आवासीय विद्यालय को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार प्रवेश की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे।
14. रक्षित पत्रावली।


उपनिदेशक (राईस)